15/02/2021 2016 ——— 00243	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण का बारपत्र/किमउक का अन्तिम डिक्री किया गया। का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.05 17:41:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 326/2016 वाद (2016/00243)

अनवान

1- बद्रीलाल पिता लेहरू जाट निवासी कशमोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2- गोवर्धन पिता लेहरू जाट निवासी कशमोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
— वादीगण

बनाम

1- सीताराम पिता भागीरथ जाट निवासी कशमोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2- हंसी बेवा भागीरथ जाट निवासी कशमोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3- भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 53-188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : 1- श्री सुरेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादीगण
2 श्री ओंकार लाल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1,2

निर्णय दिनांक 15/2/2021

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कशमोर प०ह० कशमोर तहसील चित्तौड़गढ़ के वर्तमान आराजी नम्बर 1128 रकबा 0.14 हे० वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादीगण का 1/2 हक एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हक एवं हिस्सा निहित है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उक्त आराजीयात का मिन्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन नहीं हुआ जिससे अपने-अपने हक हिस्से एवं लगान अदायगी आदि को लेकर प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.05 17:41:58 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण से विवाद करते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजीयात का विधिवत विभाजन कराने को कहा तो उनके द्वारा इनकार कर देने से वादीगण को विभाजन कराये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा हिस्से सम्बन्धी विवाद एवं झगडा करने से स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया। अन्त मे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र मे अंकित आराजी का वादीगण का 1/2 हक हिस्सा विभाजित कर पृथक-पृथक खाता खोला जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण के विभाजित हक हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से कराने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने बाबत् निवेदन किया।

बाद सुनवाई दिनांक 02/5/2018 को वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया कि ग्राम केशमोर की आराजी संख्या 1128 रकबा 0.15 हे० मे से वादीगण का 1/2 हक हिस्सा विभाजन से पृथक कर, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के यथावत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार चित्तौडगढ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए गए। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से पक्षकार सहमत है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से हस्ब विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद पत्र विभाजन का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आ.नं.	रकबा	लगान
1-	बद्री 1/4 गोवर्धन 3/4 पिता लेहरू जाट सा० देह	1128 (पश्चिमी भाग)	0.05	0.13
	योग	1	0.05	0.13

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.05 17:41:58 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

2.	सीताराम पिता भागीरथ 4/5 हंसी पत्नी भागीरथ 1/5 सा० देह	1128 (पूर्वीभाग)	0.05	0.13
	कीता	1	0.05	0.13
3	पूर्ववत शामलात	1128 1127	0.04 0.07	रास्ता आ.चा.
	कीता	2	0.11	—

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास आज दिनांक 15/02/2021 को सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.05 17:41:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. बद्रीलाल पिता लेहरू जाट निवासी कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. गोवर्धन पिता लेहरू जाट निवासी कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ

—वादी

बनाम

1. सीताराम पिता भागीरथ जाट निवासी कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. हांसी बेवा भागीरथ जाट निवासी कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

—प्रतिवादी

प्र.सं. 326 / 2016 (जी.सी.एम.एस.न. 2016 / 00243)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री सुरेशचन्द्र शर्मा की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री औकांर लाल कुमावत की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद पत्र विभाजन का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम खातेदार	आ. न.	रकबा	लगान
1	बद्री 1/4 गोवर्धन 3/4 पिता लेहरू जाट सा. देह	1128(पश्चिमी भाग)	0.05	0.13
	कीता	1	0.05	0.13
2	सीताराम पिता भागीरथ 4/5 हांसी पत्नि भागीरथ 1/5 सा. देह	1128(पूर्वीभाग)	0.05	0.13
	कीता	1	0.05	0.13
3	पूर्ववत शामलात	1128 1127	0.04 0.07	रास्ता आ.चा.
	कीता	2	0.11	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.05 17:41:58 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावै। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए

.....लगातार

स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करें न ही किसी अन्य से करावे।

इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.05 17:41:58 IST
Reason: SelfAttested